

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 70

M-COM-2022-01691

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध “कमला रतन विहार”, प्रमोटर-श्री टीकम चंद जैन,
पता-श्री चम्पालाल जैन, मकान नं.-167, भेलवापदार, जिला-कोण्डागांव (छ.ग)
प्रोजेक्ट-“ कमला रतन विहार ” जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
10/06/2022	<p>– प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>– भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा-5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट “कमला रतन विहार” पंजीयन क्रमांक-PCGRERA201119001072 के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत सभी प्रोजेक्ट्स को भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति रेरा के वेबपोर्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक-17/रेरा/2018/562, दिनांक 28.09.2018 एवं क्रमांक-22/रेरा/2018/676, दिनांक 03.11.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे। जो प्राधिकरण की वेबसाईट पर सहज उपलब्ध हैं।</p> <p>प्राधिकरण द्वारा समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अनावेदक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित प्रावधानों व निर्देशों की अवहेलना करते हुए, उपरोक्त वर्णित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति पोर्टल पर अद्यतन नहीं की गई है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दिनांक 30.03.2022 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।</p> <p>– अनावेदक द्वारा प्रकरण की सुनवाई के दौरान शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये यह लेख किया गया है कि वह प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का विकास कार्य नहीं कर पा रहा है तथा आज दिनांक तक उक्त भूमि में किसी भूखण्ड का विक्रय नहीं किया है। अतः अनावेदक ने प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>– प्राधिकरण द्वारा विवादित प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा भूखण्डीय श्रेणी में विवादित प्रोजेक्ट का पंजीयन वर्ष 2019 में कराने उपरांत अधिनियम की धारा-11 अंतर्गत कोई भी त्रैमासिक जानकारी प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है। प्राधिकरण द्वारा उक्त कार्य संपादित नहीं किये जाने के कारण अधिनियम की धारा-61 व</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 70

M-COM-2022-01691

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध “कमला रतन विहार”, प्रमोटर-श्री टीकम चंद जैन,
पता-श्री चम्पालाल जैन, मकान नं.-167, भेलवापदार, जिला-कोण्डागांव (छ.ग)
प्रोजेक्ट-“ कमला रतन विहार ” जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>धारा-63 अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुये नोटिस प्रेषित किये जाने उपरांत अनावेदक ने शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये प्रोजेक्ट का विकास कार्य नहीं होने तथा आज दिनांक तक उक्त प्रोजेक्ट में किसी भूखण्ड का विक्रय नहीं करने का उल्लेख किया है। परन्तु वर्ष 2019 में प्रोजेक्ट के पंजीयन होने उपरांत अनावेदक ने स्वतः उपरोक्तानुसार कोई जानकारी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है। अर्थात् वर्ष 2019 में पंजीयन प्राप्त करने उपरांत अनावेदक ने प्रोजेक्ट का कार्य नहीं किये जाने के संबंध में स्वयं से कोई सूचना प्राधिकरण को प्रेषित नहीं की है। अनावेदक ने वर्तमान शपथ पत्र भी प्रकरण पंजीबद्ध होने उपरांत भी प्रस्तुत किया है। अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये अनावेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर विवादित प्राजेक्ट का पंजीयन प्रतिसंहरित किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूँकि प्राधिकरण ने अनावेदक के पंजीयन हेतु प्रस्तुत आवेदन पर समुचित कार्यवाही कर प्रोजेक्ट को पंजीयन प्रदान किया था; इसलिये पंजीयन शुल्क वापस किये जाने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त अनावेदक को यह चेतावनी दिया जाना उचित प्रतीत होता है कि भविष्य में विवादित प्रोजेक्ट का विकास कार्य प्रारंभ करने पर भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों अंतर्गत पुनः प्राजेक्ट के पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>– उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है :-</p> <ol style="list-style-type: none">1. अनावेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर विवादित प्रोजेक्ट का पंजीयन शुल्क राजसात कर प्रोजेक्ट का पंजीयन क्रमांक- PCGRERA201119001072 आदेश दिनांक से प्रतिसंहरित किया जाता है। अनावेदक विवादित प्राजेक्ट का विकास व विक्रय पुनः प्रारंभ करने के पूर्व भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों अंतर्गत विवादित प्रोजेक्ट का छ.ग. रेरा में पंजीयन कराना सुनिश्चित करे।	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 70

M-COM-2022-01691

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध “कमला रतन विहार”, प्रमोटर-श्री टीकम चंद जैन,
पता-श्री चम्पालाल जैन, मकान नं.-167, भेलवापदार, जिला-कोण्डागांव (छ.ग)
प्रोजेक्ट-“ कमला रतन विहार ” जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>2. रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा को यह निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति को आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, जिला-कोण्डागांव तथा सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय, जिला-कोण्डागांव (छ.ग.) को प्रेषित किया जावे। रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा प्रतिसंहरित प्रोजेक्ट की जानकारी वेबपोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करे।</p> <ul style="list-style-type: none">- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे। <p style="text-align: center;">सही/- (राजीव कुमार टम्टा) सदस्य</p> <p style="text-align: center;">सही/- (विवेक ढाँड) अध्यक्ष</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 70

M-COM-2022-01691

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "कमला रतन विहार", प्रमोटर-श्री टीकम चंद जैन,
पता-श्री चम्पालाल जैन, मकान नं.-167, भेलवापदार, जिला-कोण्डागांव (छ.ग)
प्रोजेक्ट-" कमला रतन विहार " जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 70

M-COM-2022-01691

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध “कमला रतन विहार”, प्रमोटर-श्री टीकम चंद जैन,
पता-श्री चम्पालाल जैन, मकान नं.-167, भेलवापदार, जिला-कोण्डागांव (छ.ग)
प्रोजेक्ट-“ कमला रतन विहार ” जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
------------------------------------	---------------------	--

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 70

M-COM-2022-01691

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध “कमला रतन विहार”, प्रमोटर-श्री टीकम चंद जैन,
पता-श्री चम्पालाल जैन, मकान नं.-167, भेलवापदार, जिला-कोण्डागांव (छ.ग)
प्रोजेक्ट-“ कमला रतन विहार ” जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
------------------------------------	---------------------	--